

म.प्र. शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
म.प्र. भोपाल

“इच्छान्ता”

भोपाल, दिनांक 25/8/2022

क्रमांक एफ 3-12/2021/18-5 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18(3) सहपठित धारा 23(1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित सिवनी विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुरितिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है, तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, कक्ष क्रमांक ए 227, वी.वी. 2, द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला सिवनी म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक परिषद, सिवनी, म.प्र.।
5. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छिंदवाडा म.प्र.।

अनुसूची

1. सिवनी विकास योजना (प्रारूप) 2035 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 4.1 एवं प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना के मानचित्र क. 5.2 में प्रस्तावित उपांतरण।

क्रमांक	धारा 19-(2) में प्रस्तावित उपांतरण
1	2
मार्ग रेखांकन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव	
01	प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर.-1 के रेखांकन में परिवर्तन कर एम.आर.-1 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित।
02	वर्तमान बायपास मार्ग से ग्राम कंडीपार जाने वाले मार्ग की चौड़ाई 30.0 मीटर प्रस्तावित।
03	प्रारूप में प्रस्तावित बबरिया मार्ग से प्रस्तावित एस.आर.-2 के मध्य नवीन प्रस्तावित मार्ग एस.एस.आर.-10 प्रस्तावित किया गया एवं एस.आर.-2 का रेखांकन में परिवर्तन कर नाले के किनारे तक परिवर्तित किया गया तथा शेष रिक्त भूमि को प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित।
04	<ul style="list-style-type: none">● मण्डला रेल्वे क्रासिंग से ग्राम बिठली की सीमा तक प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र तक 18.0 मीटर मार्ग प्रस्तावित।● ग्राम पलारी में सिवनी विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर को विस्थापित कर मण्डला रोड पर ग्राम पलारी में प्रस्तावित।● सिवनी विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर से रिक्त भूमि को ट्रांसपोर्ट नगर से आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित।● वर्तमान बायपास मार्ग से प्रस्तावित एस.एस.आर.-3 के मध्य एस.एस.आर.-11, 18.0 मीटर प्रस्तावित।

CBK

05	<ul style="list-style-type: none"> कटंगी मार्ग से श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान के मध्य से गुजरने वाले सिवनी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित 18.0 मीटर मार्ग को विलोपित कर नवीन प्रस्ताव कटंगी मार्ग से मोतीनाला के किनारे होते हुये एस.एस.आर.-7, 18.0 मीटर को वर्तमान बायपास तक प्रस्तावित। कटंगी मार्ग रेल्वे क्रासिंग से वर्तमान बायपास मार्ग तक कटंगी मार्ग को सिवनी विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित 18.0 मीटर को 45.0 मीटर प्रस्तावित।
06	ग्राम डोरली छतरपुर में एस.एस.आर.-7 से वर्तमान बायपास मार्ग तक 18.0 मीटर नवीन मार्ग एस.एस.आर.-13 प्रस्तावित।
भूमि उपयोग संबंधी प्रस्ताव	
07	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम खैरी एवं मंगलीपेठ में एम.आर.-1 से नाले पर प्रस्तावित आमोद-प्रमोद हेतु प्रस्तावित भूमि को आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित। ग्राम खैरी में प्रस्तावित मण्डी को नागपुर मार्ग से लगकर प्रस्तावित एवं ग्राम खैरी स्थित खसरा क्रमांक 166 व 167 स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नागपुर-जबलपुर मार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित।

2. सिवनी विकास योजना (प्रारूप) 2035 पुस्तिका में प्रस्तावित उपांतरण।

8	<p>अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र की सारणी क्रमांक 6.4 के नीचे अंकित टीप-1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा। <ul style="list-style-type: none"> मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक- 1.75 मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक- 2.0 12.00 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी। <table border="0"> <tr> <td>मार्ग चौड़ाई</td> <td>भवन रेखा (मार्ग मध्य से)</td> </tr> <tr> <td>12.0 मीटर</td> <td>10.5 मीटर</td> </tr> <tr> <td>18.0 मीटर</td> <td>13.5 मीटर</td> </tr> <tr> <td>24.0 मीटर</td> <td>16.5 मीटर</td> </tr> </table> 	मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से)	12.0 मीटर	10.5 मीटर	18.0 मीटर	13.5 मीटर	24.0 मीटर	16.5 मीटर
मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से)								
12.0 मीटर	10.5 मीटर								
18.0 मीटर	13.5 मीटर								
24.0 मीटर	16.5 मीटर								

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह अवर सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को म.प्र. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(डॉ. शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय भोपाल

